पंचदश बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-18

शुक्रवार, दिनांक-18 मार्च, 2011 ई० ।

माननीय अध्यक्ष, श्री उदय नारायण चौधरी की अध्यक्षता में सभा की बैठक प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 12.35 बजे अपराह्न तक ।

(1) प्रश्नोत्तर काल :-

(i) 03 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित ।

(ii) 02 अल्पसूचित प्रश्न अनागत ।

(iii) 23 तारांकित प्रश्न उत्तरित ।

(iv) 01 तारांकित प्रश्न क्रमांक 1418 श्रम संसाधन विभाग को स्थानान्तरित ।

(2) कार्य स्थगन की सूचना :-

माननीय सदस्य श्री मो० तौसीफ आलम एवं अन्य सभासदों से प्राप्त कार्य स्थगन की सूचना नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा अमान्य किया गया ।

(3) शून्यकाल :-

शून्यकाल की सूचनान्तर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया :-

(i) डॉ० फैयाज अहमद

(ii) श्री जनक सिंह

(iii) श्री राजकुमार राय

(iv) श्री जवाहर प्रसाद

(v) श्री कुमार शैलेन्द्र

(vi) श्री राजेश्वर राज

(vii) श्री प्रदीप कुमार

(viii) श्री अरूण शंकर प्रसाद

(ix) श्री सबा जफर

(x) डॉ० इजहार अहमद

(xi) श्री रामायण मांझी

(xii) श्री विनोद प्रसाद यादव

(xiii) श्रीमती रंजु गीता

(xiv) डॉ० दाउद अली

(xv) श्री दुर्गा प्रसाद सिंह

(4) अन्य चर्चाएँ :-

(i) माननीय सदस्य श्री श्रवण कुमार द्वारा गया जिला के डुमरिया थानान्तर्गत बोधी बिगहा गाँव के श्री जनार्दन राय का घर डायनामाइट से माओवादियों द्वारा उड़ा दिए जाने एवं गृहस्वामी के साथ मारपीट किये जाने का मामला उठाया गया । सरकार की ओर से माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा कहा गया कि सरकार ने इस मामले को पूरी गंभीरता से लिया है और अभियुक्तों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है । जिलाधिकारी, गया को निर्देश दे दिया गया है कि जो घायल हुए हैं उन्हें अनुमान्य मुआवजा एवं मृतक के बारे में जो देय मुआवजा की राशि है, वह सरकार निश्चित रूप से देगी ।

(ii) माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी द्वारा प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को वेतन समय पर नहीं मिलने का मामला उठाया गया । जिसपर माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सरकार इसे गंभीरता से लेगी ।

(5) ध्यानाकर्षण सूचना :-

(i) माननीय सदस्य श्री प्रदीप कुमार का जल संसाधन विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना जिसका उत्तर 16.03.2011 से स्थगित था, पुनः अगली तिथि तक के लिए स्थगित हुआ ।

(ii) माननीय सदस्य श्री प्रेम रंजन पटेल एवं अन्य सभासदों का मानव संसाधन विकास विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य द्वारा पढ़ा गया तथा इसके उत्तर के लिए समय लिया गया ।

(iii) माननीय सदस्य श्री रामेश्वर प्रसाद एवं अन्य सभासदों का ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य द्वारा पढ़ा गया तथा इसका उत्तर प्रभारी मंत्री द्वारा दिया गया ।

(भोजनावकाश के बाद)

समय 02.00 बजे अप० से 05.15 बजे अप० तक ।

(6) वित्तीय कार्य :-वित्तीय वर्ष 2010-11 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदानों की मांग पर वाद-विवाद तथा मतदान :-

आपदा प्रबंधन विभाग :-

विभाग से संबंधित अनुदान की मांग का प्रस्ताव मा० प्रभारी मंत्री श्रीमती रेण कुमारी द्वारा प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री दुर्गा प्रसाद सिंह द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग की मांग पर राज्य सरकार की आपदा प्रबंधन नीति पर विचार-विमर्श हेतु कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया ।

अनुदान की मांग एवं कटौती प्रस्ताव पर वाद-विवाद में निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :-

(i) श्रीमती पूर्णिमा यादव

(माननीय अध्यासी सदस्य श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह ने आसन ग्रहण किया)

(ii) डॉ० अच्युतानन्द

(iii) श्री मो० अफाक आलम

(iv) डॉ० दाउद अली

(v) श्री विनोद नारायण झा

(vi) श्री ललन राम

(vii) श्रीमती मुन्नी देवी

(viii) श्री श्याम बिहारी राम

(ix) श्री अरूण शंकर प्रसाद

(x) श्रीमती लेशी सिंह

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

(xi) श्री रणविजय सिंह

माननीय प्रभारी मंत्री आपदा प्रबंधन विभाग, श्रीमती रेणु कुमारी द्वारा वाद-विवाद का उत्तर दिया गया ।

सरकार का उत्तर प्रारंभ होते ही विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गए । सदन द्वारा माननीय सदस्य श्री दुर्गा प्रसाद सिंह का कटौती प्रस्ताव ध्वनिमत से अस्वीकृत हुआ तथा आपदा प्रबंधन विभाग का अनुदान की मांग का मूल प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

तत्पश्चात् वित्तीय वर्ष 2010-11 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित शेष अनुदान की मांग बारी-बारी से गिलोटिन द्वारा सदन से स्वीकृत हुआ ।

(7) <u>विधायी कार्य</u> :- <u>राजकीय (वित्तीय) विधेयक</u> :-

<u>बिहार विनियोग विधेयक, 2011</u> :-

माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार विनियोग विधेयक, 2011 को सदन की सहमति से सदन में पुर:स्थापित किया तथा विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया ।

तदुपरांत सदन द्वारा विनियोग विधेयक ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ ।

(8) <u>निवेदन</u> :-

माननीय अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि आज के लिए स्वीकृत कुल 33 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जाएँगें ।

तदुपरांत सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 23 मार्च, 2011 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

पटना

दिनांक-18.03.2011

गिरीश झा
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।